

03/11/20

सैलिंग क-11/1-2

प्रेषक

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट),
श्रावस्ती

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
श्रावस्ती

विषय:- अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 11/2020 दिनांकित 03.6.2020 के संबंध में
स्पष्टीकरण।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि दिनांक 21.3.2020 को शनिवार का दिन था। मेरे बच्चे की तबियत खराब चल रही थी। मेरे द्वारा सामान्य अनुक्रम में सप्ताह में न्यायालय समयोपरान्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था ताकि मैं अपने बच्चे का रविवार को इलाज कराकर सोमवार को मुख्यालय पर उपस्थित हो जाऊँगा।

दिनांक 21.3.2020 तक न्यायालयों के बन्द हो जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पारित हो चुके थे। लेकिन नेशनल लॉकडाउन जैसी स्थिति का अंदाजा एवं आभास कल्पना में भी नहीं था। माननीय महोदय के द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का आवेदन निरस्त कर दिया गया था। लेकिन मैं अपने बच्चे की बीमारी की विवशता के कारण माननीय महोदय को मौखिक सूचना देकर बच्चे के इलाज हेतु इस उम्मीद से चला गया था कि मैं दिनांक 22.3.2020 की रात्रि में अथवा दिनांक 23.3.2020 की सुबह मुख्यालय पर उपस्थित हो जाऊँगा।

लेकिन दिनांक 22.3.2020 को नेशनल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गयी और समस्त यातायात साधनों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया एवं लखनऊ जनपद की सीमाओं को सील कर दिया गया, जिस कारण मैं 22.3.2020 की रात्रि अथवा 23.3.2020 की सुबह लखनऊ से नहीं निकल सका और मुख्यालय पर वापस नहीं आ सका।

बच्चे की बीमारी के अपरिहार्य कारण की वजह से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति न मिलने के बावजूद भी विवश होकर मुझे जाना पड़ा था और राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित होने के उपरान्त सभी सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग बन्द कर दिये जाने के कारण तथा लखनऊ जनपद की सीमाओं को सील कर दिये जाने के कारण मैं बच्चे का इलाज

कराने के उपरान्त 22.3.2020 की रात्रि अथवा 23.3.2020 की सुबह वापस मुख्यालय नहीं आ सका।


महोदय मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित विषम एवं आकस्मिक परिस्थितियों के कारण अनुमति न मिलने की दशा में भी मुख्यालय छोड़ा गया था और कोरोना पैन्डेमिक के कारण नेशनल लॉकडाउन हो जाने की वजह से मैं बच्चे के इलाज के उपरान्त तत्काल वापस मुख्यालय पर नहीं आ सका। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आलोक में आपके द्वारा पारित आदेश का जानबूझकर कोई अवहेलना नहीं की गयी है। उक्त विषम परिस्थितियों के आलोक में हुयी गलती के लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। भविष्य में ऐसी गलती मेरे द्वारा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

सादर।

दिनांक 03.6.2020

भवदीय


(शिव कुमार सिंह) 03/06/2020

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती